मूल पत्रावली प-74/पार्ट-04 E-Mail

37

राजस्थान सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

क्रमांकःराम/भू.अ./एल.आर.सी./प.47/2004/8155-75 दिनांक : 29/6/04

जिला कलेक्टर (भू.अ.)
समस्त राजस्थान ।

विषयः- कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड योजना के अन्तर्गत आवंटित राशि के व्यय करने बाबत दिशा निर्देश ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत, कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड योजना के अन्तर्गत आपके जिले को निम्नांकित बजट मद में बजट का आवंटन किया गया हैं :-

1. केन्द्र प्रवर्तित योजना में बजट आवंटन

इस मद में 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा बजट मद 2029- भू-राजस्व 103 भू.अ., 007 कम्प्युटरीकरण पायलेट प्रोजेक्ट 100 प्रतिशत सी.एस. एस. में जिला स्तर पर राजस्व रेकार्ड की डेटा ऐन्ट्री इत्यादि कार्य एवं तहसील स्तर पर साइट प्रिपरेशन, फर्नीचर, स्टेशनरी, मशीनो के संधारण कार्य पर हेतु बजट आवंटित किया जाता रहा हैं । वर्ष 2004-05 हेतु राज्य सरकार से बजट स्वीकृति मिलने के बाद उक्त केन्द्र प्रवर्तित योजना मद में भारत सरकार की गाईड लाईन्स के मध्यनजर बजट आवंटित किया जायेगा।

2. आयोजना भिन्न मद में संधारण एवं मरम्मत हेतु बजट आवंटन :

केन्द्र सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार जिलों/तहसीलों में योजना को लागू करने से तीन वर्ष के बाद केन्द्र सरकार द्वारा अनुरक्षण/मरम्मत मद में कोई बजट देय नहीं है अतः राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष 2004-05 से गैर-आयोजना मद (नॉन प्लान बजट) 2029 भू-राजस्व, 103 भू-अभिलेख, 02 जिला व्यय में नया उपमद अनुरक्षण एवं मरम्मत खोला गया है, जिसके क्रम में मण्डल के पत्र क्रमांक प.3(अ)(48)रामले/2004/ 3508-590 दिनांक 24.04.2004 द्वारा चार माह हेतु बजट आवंटन किया जा चुका है। इसका पृथक् से हिसाब रखकर निम्न दिशा निर्देशों/ विशेष निर्देशों को घ्यान में रखते हुए निम्नानुसार व्यय किया जावे :-

(गैर आयोजना मद में आवंटित बजट से संधारण एवं मरम्मत व्यय के मद)	
जिला स्तर पर व्यय	तहसील स्तर पर व्यय
(1)कम्प्युटराईजेशन आफ लैण्ड रेकार्ड योजना में जिला स्तर पर स्थापित यू.पी.एस. एवं ए. सी. के मरम्मत व संधारण हेतु । (2) केवल एल.आर.सी. योजना के कार्य हेतु प्रयुक्त विद्युत बिलों का भुगतान। (3) केवल एल. आर. सी. कार्य हेतु काम में लाई जाने वाली कम्प्युटर स्टेशनरी, रिबन कॉर्टेज, प्रिन्टर हेड, फ्लोपी, सी.डी., यू.पी.एस. बैट्रिज के क्रय हेतु। 4. सर्वर/अन्य उपकरण जो मण्डल की स्वीकृति से खरीदे गये हैं, उनका संधारण।	(1) अपना खाता केन्द्र के उपयोग में आई विद्युत के बिलों का भुगतान। (2) कम्प्युटर उपकरणों, ए.सी., यू.पी.एस., के संधारण (ए.एम.सी.) । (3) कम्प्युटर उपकरणों हेतु, प्रयुक्त स्टेशनरी, रिबन कॉर्टेज, प्लोपी, सी.डी., प्रिन्टर हेड, यू.पी.एस. बैट्रीज क्रय एवं तहसील के डेटा को जिला स्तर पर स्थानान्तरित करने हेतु तहसील के टेलीफोन के बिल का भुगतान।

विशेष निर्देश :-

(1) केन्द्र सरकार से प्राप्त (क्र.सं.1) व राज्य सरकार से प्राप्त (क्र.सं.2) के अनुसार राशि का मद वार पृथक-पृथक हिसाब रखा जावें । ऑडिट द्वारा मांगने पर व्यय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया जावे।

(2) उपरोक्त गाईडलाईन के अनुसार व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार केवल एल.आर.सी. कार्य हेतु ही किया जाना है।

(3) भू.अ. कम्प्यूटराईजेशन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये उपकरणों पर ही संधारण राशि का व्यय किया जावें ।

(4) गैर आयोजना मद अनुरक्षण एवं मरम्मत में आवंटित बजट का उपयोग एल.आर.सी. के अलावा कहीं अयन्त्र खर्च नहीं किया जावें अन्यथा इसे वित्तीय अनियमितता माना जावेगा ।

(5) एल.आर.सी. योजना के लिये प्रति जिला एवं तहसीलएक-एक ए.सी. क्रय किया गया था, अतः अधिकतम एक-एक ए.सी. पर उपयोग में ली गई विद्युत का ही व्यय इस योजना में किया जावें।

(6) एल.आर.सी. योजना हेतु उपयोग की गई बिजली/ मशीनसंधारण/ स्टेशनरी का ही भुगतान इस राशि में से किया जावें । यदि अन्य कार्य यथा चुनाव/ पंजीयन/ आदि कार्यो को किया जाना आवश्यक समझा जा रहा हो तो सम्बधित विभाग से भी अनुपातिक रूप से राशि प्राप्त की जाकर बिलों को भुगतान किया जावें ।

(7) गैर आयोजना मद का बजट जिला कलक्टरों को आवंटित किया गया है/जायेगा। जिला कलक्टर अपने स्तर पर आवंटित बजट सीमा में ही जिला एवं तहसीलों को राशि का आवंटन औचित्य पूर्ण तरीके से करेगें।

(8) एल.आर.सी. कार्य हेतु जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा एल.आर.सी. कार्य की समय समय पर समीक्षा की जावेगी ।

(9) प्रतिमाह व्यय की मासिक सूचना ई-मेल से मण्डल को भिजवाया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

भवदीय,

निबन्धक,
राजस्व मण्डल राजस्थान,
अजमेर

क्रमांकः राम/सम/

दिनांक

प्रतिलिपी :-

1 उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2 ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
3 अति.निबन्धक (वि.एवं.ले.),राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर को मय एक अतिरिक्त प्रति के।
4 सम्पादक रविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर ।

उप निबन्धक (भू-अभिलेख)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर